नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 382/2021

Dt-16-9-2021

माननीया मंत्री,
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार सरकार,
सह जिला प्रभारी मंत्री,
मधुबनी।

विषय–**मेरे विधान सभा क्षेत्र झंझारपुर अंतर्गत प्रखंड क्रमशः झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर(6 पंचायत) में वर्ष 2021 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति, प्रभावित जनजीवन को सरकार द्वारा प्रदत राहत एवं राशन कार्ड से संबंधित समस्या के निदान के संबंध में।**

महोदया,

आपकी अध्यक्षता में मधुबनी जिला के बाढ़/अतिवृष्टि/अनावृष्टि से प्रभावित स्थिति की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 15.9.2021(बुधवार) को मधुबनी में निर्धारित थी। अपरिहार्य कारणों से मैं उक्त बैठक में शामिल नहीं हो सका। अतएव झंझारपुर विधान सभा के विषयांकित समस्याओं के संदर्भ में पत्र प्रेषित कर रहा हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र झंझारपुर अंतर्गत प्रखंड क्रमशः झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर(6 पंचायत) में इस वर्ष आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण फसल की अत्यधिक क्षति हुई है, लेकिन उपर्युक्त तीनों प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, ग्राम पंचायत के किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक के हस्ताक्षरित प्रगति प्रतिवेदन जिसमें वर्ष 2021 में बाढ़ से हुई फसल क्षति का आकलन जारी किया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। फसल क्षति से संबंधित अनेकों पंचायत के किसानों से दूरभाष पर बात हुई है। किसानों के वार्तालाप से स्पष्ट है कि सरकारी रिपोर्ट एवं वास्तविकता में अंतर है। अधिकतर पंचायतों के विभिन्न गांव में 33 प्रतिशत से अधिक बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसल की क्षति हुई लेकिन प्रतिवेदन में यह कहीं दर्ज नहीं है।

उदाहरणस्वरूप मधेपुर प्रखंड के भीठ भगवानपुर पंचायत के रजौर ग्राम में वार्ड नं॰ 1 एवं 2 पूर्ण रूप से एवं वार्ड नं॰ 3 आंशिक रूप से क्षति हुई है। गांव की कुल आबादी लगभग 4000 से अधिक है। किसानों के द्वारा 2 बार धान का फसल लगाया गया, दोनों बार धान बाढ़ के कारण बर्बाद हुआ है। साथ ही, भूमि में कहीं गड्ढा तो कहीं बालू का ढ़ेर जमा हो गया है। दर्जनों मवेशी के घर गिर गए, कुछ पशुओं की मृत्यु भी हो गई है। रजौर एवं बाबा पोखर जानेवाला सड़क जो इसी वर्ष बनाया गया था पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्य सड़क से रजौर जानेवाली पी॰सी॰सी॰ सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in

1. **झंझारपुर प्रखंड** अंतर्गत अवस्थित पंचायत क्रमशः परसा, अररिया संग्राम, नवानी, चनौरागंज, सिमरा, नरूआर, लोहना दक्षिण, लोहना उत्तर, महिनाथपुर, मेंहथ में नवटोलिया ग्राम एवं अन्य, रैयाम पश्चिम, काको एवं संतनगर प्रभावित है। ज्ञात हो कि उक्त पंचायत में 80 प्रतिशत किसानों को अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसल का क्षति हुआ है।

2. **लखनौर प्रखंड** अंतर्गत अवस्थित पंचायत क्रमशः बेरमा, तमुरिया, मैवी, बेलौचा, दीप पश्चिम, लखनौर पूर्वी, लखनौर पश्चिमी, गंगापुर एवं बलिया प्रभावित है। उक्त पंचायत के गांव में बाढ़/अतिवृष्टि से धान की फसल का नुकसान अधिक मात्रा में हुआ है, कहीं कहीं दोबारा धान की रोपनी की गई है वह भी बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ग्रामीणों द्वारा दूरभाष पर फसल बर्बादी का जिक्र भी किया करते हैं।

3. **मधेपुर प्रखंड** अंतर्गत अवस्थित पंचायत क्रमशः पचही, प्रसाद, बाँकी, महासिंह हसौली, भीठ भगवानपुर एवं परवलपुर प्रभावित है। ज्ञात हो कि भीठ भगवानपुर पंचायत के रजौर ग्राम एवं नवटोलिया टोला तथा परवलपुर पंचायत के वैद्यनाथपुर, दलदल एवं रहिका टोल एवं महासिंह हसौली पंचायत के बहेरा, बीरपुर, ठाकुर पोखर, खोईर मदनपुर में बाढ़ से फसल की बर्बादी अधिक है। साथ ही, दर्जिया ग्राम पूर्णतः कमला नदी दोनों तटबंध के बीच में बसा हुआ है। विगत माह कमला नदी में आयी भीषण बाढ़ के कारण उक्त ग्राम में कई घर नदी कटाव के कारण कमला नदी में विलीन हो गई है, जिसके कारण लगभग 15–20 परिवार गृह विहीन हो गये हैं। साथ ही, नदी में डूबने कारण 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं जान–माल की क्षति हुई है।

झंझारपुर प्रखंड के मेंहथ पंचायत के अंतर्गत नवटोलिया ग्राम एवं मधेपुर प्रखंड के भीठ भगवानपुर पंचायत के रजौर एवं नवटोलिया, परवलपुर पंचायत के वैद्यनाथपुर एवं नवटोलिया तथा महासिंह हसौली पंचायत के दर्जिया ग्राम जो कमला बलान नदी के दोनो तटबंध के मध्य अवस्थित है, नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण इन गांवों के निवासियों का जन जीवन पूणरूपेण अस्त–व्यस्त हो जाता है और इन्हें सरकार से राहत की उम्मीद बढ़ जाती है।

मैं आपका ध्यान झंझारपुर विधान सभा में राशन कार्ड से संबंधित समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ जो आज भी जस की तस बनी हुई है। कई राशन कार्ड ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक परिवार के सदस्यों का आधार सीडेड है। ऐसे सदस्यों के द्वारा जब राशन कार्ड हेतु प्रपत्र(क) तथा (ख) में आवेदन किया गया तो आधार पूर्व से ही राशन कार्ड में सीडिंग होने के कारण प्रपत्र(क) तथा (ख) के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। एस॰ई॰सी॰सी॰ ड्राफ्ट सूची के माध्यम से मूल राशन कार्डधारी का पहचान किया जा सकता है। इसके संबंध में मेरा सुझाव निम्नलिखित हैः–

1. गलत परिवार के सदस्यों के आधार का यूनिट डिलिशन पहले किया जाना है फिर प्रपत्र(क) तथा (ख) में आवेदन किया जाता है तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यूनिट डिलिशन का प्रावधान अनुमंडल पदाधिकारी के लॉगिन में है जिसे कैम्प मोड में अनुपालन किये जाने की आवश्यकता है।

2. मार्च 2021 के बाद से कई राशन कार्ड संख्या को विभाग की तरफ से अक्षम कर दिया गया है जिसे विभागीय स्तर से सक्षम किये जाने की आवश्यकता है।(उदाहरण–राशन कार्ड संख्या 10050180015007200090)

3. मार्च 2021 के बाद से कई राशन कार्ड में से कई यूनिट आधार सीडिंग होने के बावजूद डिलीट कर दिया गया है।(उदाहरण–राशन कार्ड संख्या 10050180015007400068 पहले 14 यूनिट अंकित था जो अब मात्र 1 यूनिट अंकित है)।

4. झंझारपुर प्रखंड में सितंबर 2020 में राशन कार्ड प्रपत्र(क) तथा (ख) में आवेदन लिया गया था जिसका कम्प्यूटराईज्ड पावती वितरण नहीं किया गया था।

5. प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन कार्ड हेतु प्रपत्र(क) तथा (ख) में कई ऐसे भी आवेदन हैं जिनमें RTPS किसी के नाम से हुआ था और राशन कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से बना दिया गया है, जो संभवतः जाँच का विषय है।

अतः अनुरोध है कि झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर(6पंचायत) प्रखंडों में 2021 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति, प्रभावित जनजीवन को सरकार द्वारा प्रदत राहत एवं राशन कार्ड की समस्या के निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगी।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा)
ईमेल–mla-jjpur-bih@nic.in

16.9.21